विश्व व्यापार संगठन और भारत

*** डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय**

विदेशी व्यापार के अंतर्गत केवल वस्तुओं का आयात–नियात ही शामिल नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आदान–प्रदान भी विदेशी व्यापार की परिधि में आता है। विभिन्न देशों के बीच इस प्रकार का व्यापार या आदान–प्रदान विदेशी व्यापार अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को विश्व व्यापी समर्थन मिलने से पूर्व सभी देश संरक्षणात्मक नीतियों पर चल रहे थे, विदेशी प्रतियोगिता से स्वदेशी उद्यमियों को बचाने के लिए सीमा शुल्क एवं गैर सीमा शुल्क अवरोधों (Tariffs and Non Tariffs Barriers) का सहारा लिया जाता था और आयातों के मार्ग अवरूद्ध किए जाते थे। जब तक देश प्रतिबंधात्मक नीतियों को अपनाता था, तो स्वाभाविक रूप से अन्य देश भी वैसा ही करते थे, निर्यात संवर्द्धन (Export Promotion) के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करके अधिक मात्रा में उत्पादक आदानों, उपभोग्य वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयातों को प्रोत्साहित करने के बजाय आयात प्रतिस्थापन की नीति पर अमल किया जाता था अर्थात आयात के विकल्पों की तलाश की जाती थी। विदेशी व्यापार के अतिरिक्त विदेशी पूंजी निवेश पर भी कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे फलतः विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश का स्वतंत्र प्रवाह नहीं हो पाता था। कालान्तर में यह सिद्ध हो गया है कि विकासशील देश प्रतिबंधात्मक नीतियों के दुष्परिणामों से अधिक प्रभावित हुए वे आर्थिक विकास की ऊंचाईयों तक नहीं पहुंच सके, और उनके उपभोक्ताओं को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी। विश्वव्यापी आर्थिक सुधारों के कारण वर्तमान स्थिति पूर्व की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। परिवर्तन के इस दौर में भारत भी शामिल है सभी देश वस्तुओं, सेवाओं, और पूंजी के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह पर प्रतिकूल असर डालने वाले नियमों और प्रावधानों को तेजी से समाप्त कर रहे हैं।

व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधित सामान्य समझौता (गैट):–द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आई.टी.ओ) की स्थापना के बारे में सहमति न होने के कारण एक अंतरिम व्यवस्था की गई जिसका नाम था व्यापार व प्रशुल्क संबंधित सामान्य समझौता (जी.ए.टी.टी. अथवा गैट) इस संदर्भ में प्रारंभ में 23 राष्ट्रों ने 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा में हस्ताक्षर किए तथा यह व्यवस्था 1 जनवरी 1948 से लागू हो गई। प्रारंभ में इसे तदर्थ या अस्थाई बनाया था लेकिन यह 1994 तक प्रभावी रही। बाद में इसके सदस्यों की संख्या भी 110 हो गई तथ 26 अन्य ने अस्थाई तौर पर इसकी सदस्यता की प्रार्थना की हुई थी। कुल मिलाकर यह विश्व व्यापार के 90 प्रतिशत से संबंधित थी। भारत इसके संस्थापक देशों में से एक था। यह समझौता मुख्य रूप से तीन सिद्धांतों पर आधारित था – **(1)** विश्व व्यापार भेदभाव रहित आधार पर होना चाहिए। **(2)** आंतरिक उद्योगों को केवल सीमा–शुल्क के आधार पर सुरक्षित रखना चाहिए अन्य व्यापारिक आधारों पर नहीं। **(3)** परामर्श का अर्थ सदस्य राष्ट्रों के हितों को होने वाले प्रतिबंधों को कम करने वाली वार्ताओं के लिए ढांचागत व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर गैट द्वारा 1947 से 1994 तक वार्ताओं के 8 दौर पूरे किए गए जिनकी सहमति के आधार पर विश्व व्यापार की शर्तें व प्रशुल्क निर्धारित करने तथा प्रतिबंधों को कम करने या हटाने का प्रयास किया गया। ये प्रमुख आठ वार्तायें निम्नलिखित थी –

गैट के प्रारंभिक दौर में चर्चाओं का मुख्य मुद्दा टैरिफ ही रहा, जिसमें सफलता भी मिली, जबकि केनेड़ी राउण्ड के अंतर्गत टैरिफ के साथ–साथ नया विषय एंटी डंपिग Anti Dumping रखा गया था तथा सदस्य देशों की संख्या 62 तक पहुची। वर्ष 1973 से वर्ष 1979 के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से टोकियों राउण्ड का अत्यधिक महत्त्व रहा, जिसके अंतर्गत लगभग 102 देशों द्वारा टैरिफ एवं गैर टैरिफ विषयों पर चर्चा की गयी तथा आगामी समय में होने वाली संभावित समझौते का आधार तैयार किया गया। भारत प्रारंभ से ही इन वार्ताओं से जुड़ा रहा है, परंतु विकासशील देश हमेशा गैट समझौतों के पक्षपातपूर्ण रवैये के विरूद्ध रहे है। 1964 में अंकटाड की स्थापना कर दी गई। इस संस्था के बनने के बाद विकासशील देश (समूह – 77 के रूप में) अपने–अपने हितों के लिए जोर देने लगे। भारत व अन्य विकासशील देशों के सामूहिक प्रयास के कारण धीरे–धीरे अंकटाड का महत्त्व बढ़ने लगा तथा जी 7 के देशों ने कुछ उदार रवैया अपनाना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप टोक्यो वार्ता में विकासशील देशों को महत्त्वपूर्ण रियायत दी गई। व्यापार वरीयता की सामान्य योजना (जी.एस.टी.पी. के अधीन विकासशील देशों का काफी रियायतों के बावजूद दोनों ही समूह जी–77 एवं जी–7) इससे संतुष्ट नहीं हुए तथा इनमें और अधिक संशोधनों की मांग करने लगे। उपरोक्त विरोधों के कारण गैट के अंतिम दौर की वार्ताओं (अर्थात् उरूग्वे दौर) की 1986 में शुरूआत हुई। इन वार्ताओं के दौरान कुछ विकसित देशों ने इन देशों के मध्य फूट का लाभ उठाने का भी प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अमेंरिका अपने द्विपक्षीय धाराओं सुपर–301 के प्रयोग में लाने के कारण ज्यादा इच्छुक प्रतीत नहीं हुआ। 1989 तक जी–77 के केन्द्रीय ग्रुप के नेतृत्व की हैसियत से भारत व ब्राजील ने इस उत्तरदायित्व को सही प्रकार से निभाया परंतु उसके बाद भारत के कुछ द्विपक्षीय समझौतों के द्वारा अपने को गैट वार्ताओं में विकासशील देशों की स्थिति को कमजोर कर दिया। 1991 में सोवियत विघटन व अमेंरिका के बढ़ते वर्चस्व के कारण भारत व अन्य विकासशील देशों की स्थिति और दयनीय हो गई। अमेंरिका अपनी राष्ट्रोपरि कंपनियों के संदर्भ में इन संस्थाओं

*** सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र)**

के दायरे को विस्तत करने का पक्षधर था।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार—द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने तक विदेशी व्यापार केवल पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी देशों के लिए विकासरूपी गाड़ी का इंजन था। विश्व के अधिकतर देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया था। लेकिन युद्धोपरांत उपनिवेशवादी चुंगल से मुक्त होने के बाद पूर्व के पराधीन देशों ने स्वतंत्र और सार्वभौम देशों के रूप में अपने विकास अभियान की शुरूआत की। नवोदित राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण की और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक एवं राजनयिक सम्बंध स्थापित किए। इस तरह सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए और उनके बीच अन्य सम्बंधों के साथ–साथ व्यापारिक सम्बंध भी विकसित होने लगा।

गैट की स्थापना तीन प्रमुख सिद्धांतों को लेकर हुई – **1.** सभी देशों के साथ समान और भेदभाव रहित व्यवहार **2.** परस्पर सीमा–शुल्क में कटौती के लिए विभिन्न देशों के बीच विचार–विमर्श और समझौता **3.** विदेशी व्यापार को बाधित करने वाले मात्रात्मक प्रतिबंधों का पूर्ण उन्मूलन। इन प्रमुख सिद्धांतों के अतिरिक्त विदेशी व्यापार में पारदर्शिता भी गैट का एक आधरभूत सिद्धांत था। विश्व व्यापार संगठन यद्यपि एक नई संस्था है और गैट का समापन हो चुका हैं फिर भी यह गैट के निर्णयों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं से निर्देशित होता है। विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के बीच नियम पर आधारित व्यापार का खुला और न्यायोचित ऐसा प्रवाह चाहता है जिससे कि स्वतंत्र प्रतियोगिता प्रभावित नहीं हो। यह विकासशील देशों में आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक पद्यति में साम्यवाद को छोड़कर प्रजातांत्रिक पद्धति अपनाने वाले देशों की उत्तरोत्तर बढ़ती भागीदारी के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके अतिरिक्त यह संस्था सीमा–शुल्क और गैर सीमा–शुल्क की बाधाओं का उन्मूलन, सेवा क्षेत्र में व्यापार का क्रमिक उदारीकरण सभी प्रकार के संरक्षणवाद का अंत, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विभेदात्मक व्यवहार का अंत और अधिकतम पारदर्शिता के प्रति भी गंभीर है। भारत गैट के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है और अब विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को अपनाया है। भारत आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाने के बाद और विश्व व्यापार संगठन की नीतियों एवं निर्देशों का अनुशरण प्रारंभ करने के बाद विदेशी व्यापार के मामले में भारत की स्थिति पहले की अपेक्षा अब काफी अच्छी हो गयी है। विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए सीमा शुल्कों में कमी की गई है और मात्रात्मक प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से कमी की जा रही है। मात्रात्मक प्रतिबंधों को 2005 ई. तक बिलकुल समाप्त करने की बात की गई थी। परस्पर उदारता दिखाते हुए अन्य देश भी ऐसा ही कर रहे है। फलतः भारतीय निर्यात का बाजार निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। विदेशी पूँजी और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के कारण भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता का उत्क्रमण हुआ है और विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा में इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी है। विदेशी व्यापार की संरचना भी काफी बदल गयी है, अब विदेशी मुद्रा की अधिकतर आय निर्मित वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त होती है जिसके लिए भारत वर्षो से प्रयत्नशील रहा है। अब यह अतीत की बात हो चुकी है कि भारत को विदेशी मुद्रा की आय के लिए मुख्यतः कृषि आधारित वस्तुओं एवं खनिज पदार्थो के निर्यात पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसके कारण देश के प्राकृतिक साधनों का दोहन विकसित देशों के लाभ के लिए हुआ करता था। निर्माणी उद्योगों के विकास के बाद इन साधनों का दोहन अब दूसरों की अपेक्षा अपने लिए अधिक हो रहा है। दूसरी ओर पूंजीगत वस्तुओं एवं रासायनिक पदार्थो के मामले में आयात पर निर्भरता में काफी कमी हुई है। इन मामलों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ, स्वर्ण, रत्न एवं कीमती पत्थर आयात के प्रमुख हिस्से है। जहां तक भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा का प्रश्न है, अकेले में अमरीका और राष्ट्रों के रूप में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हाल के वर्षो में यूरोपीय संघ के साथ व्यापार में थोड़ी कमी हुई, लेकिन चीन, ओपेक तथा अन्य विकासशील देशों के साथ व्यापारिक लेन–देनों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। रूस सहित पूर्वी यूरोप ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ व्यापारिक लेन–देनों में अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है और 2002–2007 की नई निर्यात आयात नीति में इसे विशेष रूप से रेखांकित किया गया है तथा इस क्षेत्र के साथ व्यापारिक सम्बंध को विस्तारित करने के उपायों पर विशेष बल दिया गया है।

भारत विश्व व्यापार संगठन के अनुशासन में रहकर काम कर रहा है, लेकिन दोहा सम्मेंलन, मोट्रियल सम्मेंलन और कानकुन सम्मेंलन की कार्य सूची में सम्मिलित विषयों के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सतर्कता के साथ और दृढ़तापूर्वक अपनी भूमिका निभा रहा है। सेवा क्षेत्र की विभिन्न विधाओं में स्वतन्त्र व्यापार तथा प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को विश्व व्यापार संगठन की परिधि में लाने का जितना मुखर विरोध भारत द्वारा किया जा रहा है वह इस बात का प्रमाण है कि भारत दबाव में आकर अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं कर सकता अपनी सरकार से देशवासियों की यही अपेक्षा भी है। प्रतिस्पर्धा से प्रेरित बाजारोन्मुखी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत नए–नए कीर्तिमान करता रहेगा, क्योंकि यह संसाधन और प्रतिभा दोनों ही मामलों में समृद्ध है।

सन्दर्भ-

* Dubey, Muchkund, **Implementation issuesa in the WTO**, The Hindi, 10 Sep, 2001. *Alagh, Yoginder K., ***Agriclture Trade and Policiesa**, Indian Economic Journal. Vol. 46(3), Jan-March 1999. *Bagchi, Sanjay, **India and WTO,** Economic and Political Weekly, 13-19 Jan 2001. * Ghosal, Ratan, Kumar-sexond, **Generation Reforms and Rural Development,** Indian Economic Association, IEA Coference Vol. 83. 2001.* Schott J.J., assited by J.W. Burman, **The Uruguay Round; An Assesasment and structure of WTO.** Washington, Institute for International Economics, 1994.